



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली प्राक्षिक समाचार

सम्पर्क

खण्ड—XXIX अंक—3

15 फरवरी, 2024

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।
साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ।
श्रीमद्भगवद्गीता 4 / 8

स्वागत

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2024/239146 दिनांक 31.01.2024 के अनुसार **प्रो. पवन प्रकाश दुव्वुरी** ने 22.01.2024 से संस्थान के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल—11 में सहायक प्रोफेसर (ग्रेड-II) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

प्रो. पवन प्रकाश दुव्वुरी को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित “युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप” भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2024/238820 दिनांक 30.01.2024 के अनुसार **प्रो. (सुश्री) प्रियंका गोलिया** ने 24.01.2024 से संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल—10 में सहायक प्रोफेसर (ग्रेड-II) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

प्रो. (सुश्री) प्रियंका गोलिया को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित “युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप” भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2024/238816 दिनांक 30.01.2024 के अनुसार **प्रो. राजेन्द्र कुमार** ने 24.01.2024 से संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल—11 में सहायक प्रोफेसर (ग्रेड-II) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

प्रो. राजेन्द्र कुमार को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित “युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप” भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2023/239961 दिनांक 01.02.2024 के अनुसार **सुश्री जी. जोशुआ** ने 01.02.2024 से संस्थान

के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में अंग्रेजी भाषा अनुदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/U-3/2024/240743 दिनांक 05.02.2024 के अनुसार **डॉ. अश्वनि कुमार** ने 25.01.2024 से संस्थान के पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग में पोस्ट—डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/U-3/2024/241741 दिनांक 07.02.2024 के अनुसार **डॉ. (सुश्री) श्वेता कुमारी** ने 25.01.2024 से संस्थान के पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग में पोस्ट—डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2024/238829 दिनांक 30.01.2024 के अनुसार **डॉ. सन्तोष कुमार** ने 29.01.2024 से संस्थान के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग में पोस्ट—डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

विवेकानंद की प्रासंगिकता

स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी संस्कृति, समाज सेवा, चरित्र निर्माण, देशभक्ति, शिक्षा, व्यक्तित्व तथा नेतृत्व इत्यादि के विषय में दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

12 जनवरी, 1963 को स्वामी विवेकानंद के जन्म के बाद लगभग डेढ़ सदी बीत रही है, परंतु उनके संदेश आज भी युवाओं के लिए सजीव प्रेरणा बने हुए हैं। वास्तव में यह दिवस भारत के युवा स्वप्नों का साकार दिवस है। यह दिवस संपूर्ण राष्ट्र को संचालित करने वाले तंत्र में युवाओं की भूमिका के साथ ही राष्ट्र के भविष्य की दिशा को प्रतिबिंबित करने का दिवस भी है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था कि निराशा, कमजोरी, भय तथा ईर्ष्या युवाओं के सबसे बड़े शत्रु हैं। युवाओं का उससे भी बड़ा शत्रु स्वयं को कमजोर समझना है। विवेकानंद ने युवाओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारण करने के लिए स्पष्ट संकेत दिया कि तुम सदैव सत्य का पालन करो, विजय तुम्हारी होगी। आने वाली शताब्दियां तुम्हारी बाट जोह रही हैं। आने वाले भारत का भविष्य तुम्हारी कार्यशैली पर ही निर्भर करेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष बाद भी उनकी भविष्यदृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। संभवतः यह उनकी राष्ट्रगत दूरदर्शिता थी कि 150 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद आज भी 21वीं शताब्दी युवा भारत की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हमारे सामने हैं।

युवाओं के विषय में स्वामी विवेकानंद की वैचारिकी बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने कहा था कि हमें कुछ ऐसे युवा चाहिए जो देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हों। फिर देश में आजादी आपके कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी हिंदू संस्कृति, समाज सेवा, चरित्र निर्माण, देशभक्ति, शिक्षा, व्यक्तित्व तथा नेतृत्व इत्यादि के विषय में स्पष्ट सोच एवं दिशानिर्देश देने का कार्य कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों

को केंद्र में रखकर युवाओं की वर्तमान दशा-दिशा का वास्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।

आज भारत में 13 में से 35 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 51 करोड़ है। भारत अपने इन युवाओं की शक्ति के आधार पर ही अपनी परंपरागत छवि का आवरण उतारकर नूतन वैश्विक स्तर की अस्मिता बनाने में सफल रहा है। इन युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत के सतत विकास की धाक अमेरिका जैसा विकसित देश भी स्वीकार कर रहा है। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश की आजादी के बाद भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का स्वप्न स्वामी विवेकानंद के अलावा हमारे अन्य युवा नायकों ने भी देखा था। परंतु देशवासियों को आज जो बात अखर रही है, वह इन युवाओं के मन-मस्तिष्क में 'शाइनिंग इंडिया' और 'असल भारत' के बीच फासले का लगातार बढ़ते जाना है। निस्संदेह आज का युवा जब सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था में पनपते विरोधाभास तथा राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर देखता है, तो उसका व्यवस्था से मोहभंग हो जाता है। इसलिए आज उसमें देश के तंत्र के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है।

दरअसल, युवाओं में यह आक्रोश उनमें जन्मित सामूहिक कुंठा की अभिव्यक्ति के कारण है। युवाओं में यह कुंठा तब पनपती है जब इस समाज में विद्यमान मानक युवाओं की दृष्टि में इतने अप्रभावी और हानिकारक हो जाते हैं जो उन पर आघात पहुंचाने लगते हैं। उनसे युवाओं का इतना अधिक अलगाव हो जाता है कि जो उन्हें इन मानदंडों को बदल डालने को मजबूर करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के आंदोलन में युवाओं की जबरदस्त भागीदारी के पीछे भी इसी मनोविज्ञान को देखना समीचीन होगा। राष्ट्र की विकास यात्रा में राष्ट्रवाद से जुड़ी भावनात्मक संवेदनशीलता युवाओं के जीवन से गायब हो रही है। देश में चुनाव होने हैं। लगभग तीन चौथाई वोटर युवा वर्ग से ही आते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने विभिन्न

अभियानों में इस युवा शक्ति का प्रयोग तो किया परंतु किसी भी राजनीतिक दल ने युवाओं के अंदर पनप रहे आक्रोश और अंतर्द्वंद्व को समझने का प्रयास नहीं किया। युवाओं में राष्ट्र निर्माण करने व उसके लिए त्याग करने की तीव्र आकांक्षा है। दूसरी ओर परिवारवाद की राजनीति में संलग्न कुछ युवा राजकुमारों को छोड़कर वर्तमान का युवा वर्ग नेतृत्वविहीन है। एक ओर सुनहरे भविष्य वाले साधन संपन्न युवा हैं तो दूसरी ओर समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले बेरोजगार युवा भी हैं। बेरोजगार शिक्षित युवा माओवादी, उग्रवादी व आतंकवादी संगठनों के लिए उपजाऊ भूमि साबित हो रहे हैं उदारीकरण के इस दौर में समाज का यह वंचित वर्ग सार्वधिक प्रभावित हुआ है। युवाओं के इस वर्ग के मनोविज्ञान को न तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और न ही कोई राजनीतिक पार्टी समझने का प्रयास कर रही है।

सच्चाई यह है कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी समकालीन समाज में सामाजिक हलचल और राजनीतिक दिशाबोध का आवेगमय सूचकांक होती है। संपूर्ण विश्व नूतन दौर की यौवन बेला से गुजर रहा है। देश की आबादी में युवाओं की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ लोगों की विचार शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। गहराई से विचार करें तो देश के युवा ढांचे में यह परिवर्तन स्वामी विवेकानंद की भविष्य दृष्टि का ही प्रेक्षपण है। आज युवाओं में बेचैनी की तीव्रता है और राष्ट्रीय सरोकारों की कमजोरी। इस पर देश की राजनीति गंभीर नहीं है। आतंकवाद मुंह बाए खड़ा है। देश की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है। युवा आक्रोशित हैं, मगर चुप हैं। इसलिए वर्तमान में युवाओं से जुड़ी इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए देश की राजनीति को समय रहते राष्ट्रहित में निर्णय लेना होगा। तभी राष्ट्रीय युवा दिवस तथा स्वामी विवेकानंद के संदेशों को सार्थकता सिद्ध होगी।

साभार—दैनिक जागरण

दिनांक 12.01.2012

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

प्रशासनिक अधिकारियों के दैनिक सरकारी कामकाज में सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली संक्षिप्त आदेशात्मक टिप्पणियाँ
(Brief important notings being used by Administrative Officers in their daily routine official work)

अंग्रेजी	हिन्दी
Action may be taken as proposed.	यथाप्रस्तावित कार्रवाई की जाए
All concerned should note carefully.	सभी संबंधित व्यक्ति इसे ध्यान से नोट कर लें।
Application is rejected.	प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया जाता है।
Approved.	अनुमोदित।
Approved as a very special case. This should not, however be Quoted as a precedent.	एक विशेष मामला मानते हुए अनुमोदित किया जाता है किन्तु आगे उदाहरण के रूप में इसका उल्लेख न किया जाए।
Wait further report.	आगे और विवरण की प्रतीक्षा कीजिए।
Await reply.	उत्तर की प्रतीक्षा करें।
Do the needful.	आवश्यक कार्रवाई करें।
Draft is concurred in.	प्रारूप पर सहमति दी जा रही है।
Draft may not be issued.	अब प्रारूप जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
Draft reply on the lines suggested above may be Put up.	उपरोक्त सुझावों के आधार पर उत्तर का मसौदा तैयार कीजिए।
Enquire into the case and report early	मामले की जांच करें और शीघ्र रिपोर्ट दें।
Enquiry be completed and its report submitted at an Early date	जांच पूरी की जाए और रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जाए।
Explanation may be called for.	स्पष्टीकरण मांगा जाए।
Fix a date for meeting.	बैठक के लिए तारीख नियत करें।
Give top priority to this work.	इस कार्य को परम अग्रता दें।
I agree.	मैं सहमत हूँ।
I agree with 'A' above.	मैं उपर्युक्त 'क' से सहमत हूँ।

अंग्रेजी	हिन्दी
I disagree.	मैं सहमत नहीं हूँ।
I fully agree with office note	मैं कार्यालय की टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूँ।
Inform accordingly.	तदनुसार सूचित किया जाए।
Issue as amended.	यथासंशोधित जारी किया जाए।
Issue reminder urgently.	तुरन्त अनुस्मारक भेजिए।
Issue today.	आज ही भेज दिया जाए।
Issue warning.	चेतावनी दी जाए।
Kindly see it for approval.	कृपया इसे अनुमोदन के लिए देखें।
May file.	फाईल कर दिया जाए।
No assurance in the matter can be given at this stage.	इस मामले में इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।
Order may be issued.	आदेश जारी कर दिया जाए।
Office may note it carefully.	कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर लें।
Permitted.	अनुमति दी जाती है।
Please circulate and file.	कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दें।
Please discuss.	आकर चर्चा कर लें।
Please fleg the relevent papers.	कृपया संगत कागजातों पर पर्चियाँ लगा दें।
Please issue necessary notification.	कृपया आवश्यक अधिसूचना जारी करें।
Please make a special note of this Decision.	कृपया इस निर्णय को विशेष रूप से नोट करें।
Please prepare a precis of the case.	कृपया मामले की संक्षेपिका तैयार करें।
Please put up a self contained note.	कृपया स्वतः पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करें।
Please remind after one week.	कृपया एक सप्ताह बाद याद दिलाएं।

अंग्रेजी	हिन्दी
Please see the preceding notes.	कृपया पिछली टिप्पणियाँ देख लें।
Please speak.	कृपया बात करें।
Please take immediate action.	कृपया तुरंत कार्रवाई करें।
Put up through proper channel.	उचित माध्यम से प्रस्तुत करें।
Reminder may be issued.	अनुस्मारक भेजा जाए।
The requisite information may be furnished early.	अपेक्षित सूचना शीघ्र दी जाए।
Sanctioned.	स्वीकृत/मंजूर।

अंग्रेजी	हिन्दी
Seen, thanks.	देख लिया, धन्यवाद।
Take disciplinary action.	अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
There is no cause to modify the order already passed.	जो आदेश दिया जा चुका है उसमें संशोधन करने का कोई कारण नहीं है।
The undersigned is competent to grant permission.	अधोहस्ताक्षरी अनुमति देने के लिए सक्षम है।
What delays ?	देरी का क्या कारण है ?
What is the position ?	क्या स्थिति है ?

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात

- 1 सामान्य आदेश / General Orders
- 2 संकल्प / Resolution
- 3 परिपत्र / Circulars
- 4 नियम / Rules
- 5 प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन / Administrative or other reports
- 6 प्रेस विज्ञप्तियाँ / Press Release/Communiques
- 7 संविदाएँ / Contracts
- 8 करार / Agreements
- 9 अनुज्ञप्तियाँ / Licences
- 10 निविदा प्रारूप / Tender Forms
- 11 अनुज्ञा पत्र / Permits
- 12 निविदा सूचनाएँ / Tender Notices
- 13 अधिसूचनाएँ / Notifications
- 14 संसद के समक्ष रखे जाने वाले / प्रतिवेदन तथा कागज पत्र / Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा हिन्दी के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण

- क्षेत्र क—** बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।
- क्षेत्र ख—** गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
- क्षेत्र ग—** खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

राजभाषा नियम 1976 नियम 5

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। अतः सभी विभाग/केन्द्र/अनुभाग/प्रकोष्ठ/एकक आदि के प्रमुखों से अनुरोध है कि हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दें और उनका रिकॉर्ड रखें।